"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2006—आश्विन 26, शक 1928

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 1-24/2003/(6)52 रायपुर, दिनांक 10-10-2006

स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार

प्रस्तावना :—

छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के हाथकरघा वस्त्र उद्योग को संरक्षण तथा बढ़ावा देने हेतु हाथकरघों पर वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण्य बनाए रखने एवं बुनकरों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार" की स्थापना की गई है.

इस पुरस्कार के विनियम एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं.

उद्देश्य :—

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की परंपरागत हाथकरघा वस्त्र उत्पादन कला-कौशल को संरक्षण प्रदान करना तथा उत्पादन में उत्कृष्टता लाने हेतु प्रोत्साहित कराना.

संक्षिप्त नाम :—

(अ) इस नियम का संक्षिप्त नाम ''स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना 2004'' होगा.

(ब) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

परिभाषा :— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) हाथकरघा के तात्पर्य ऐसे समस्त प्रकार के हाथकरघा जैसे—फेमलूम, पिटलूम, जेकार्ड लूम आदि जो हाथ (मानव शक्ति) से चलाये जाते हो.

(ब) बुनकर से तात्पर्य उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-''अ'' अनुसार करघों पर बुनाई का कार्य करता हो.

(स) निर्णायक मण्डल से अभिप्राय इन नियमों के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मण्डल (जूरी) से है.

पुरस्कार का स्वरूप :—

प्रदेश में हाथकरघा वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बुनकर को स्व. श्री बिसाहूदास महंत पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख (अक्षरी दो लाख रुपये) मात्र नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह, शाल एवं श्रीफल के रूप में दिया जायेगा. पुरस्कार हाथकरघा वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बुनाई कार्य करने वाले एक बुनकर को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मण्डल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जावेगा. परन्तु चयन समिति के निर्णय के आधार पर पुरस्कार की नगद राशि अधिकतम दो व्यक्तियों के मध्य विभाजित हो सकती है, प्रशस्ति-पत्र पृथक-पृथक दिया जावेगा.

प्रविष्टियां :—

प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों के द्वारा किसी भी प्रकार के धागों से हाथकरघा पर पारंपरिक/आधुनिक डिजाईन में विभिन्न रंगों के संयोजन/रंग विहिन के साथ बुने गये सभी प्रकार के वस्त्र.

पुरस्कार योजना की शर्तें :—

(1) प्रविष्टि हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना चाहिए (आवेदन के साथ निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा).

(2) प्रस्तुत प्रविष्टि हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु का बंधन नहीं है.

(3) प्रस्तुत प्रविष्टि, आवेदक द्वारा हाथकरघा पर स्वयं के द्वारा बुनाई किया गया है. निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र देना होगा.

(4) एक आवेदक की एक ही प्रविष्टि स्वीकार्य की जावेगी.

(5) पूर्व पुरस्कृत प्रविष्टि इस योजनांतर्गत पुरस्कार हेतु ग्राह्य नहीं होगी. इस योजनांतर्गत प्रविष्टि प्रथम बार प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक को स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा.

(6) पुरस्कार दिये जाने हेतु चयनित प्रविष्टि तथा पुरस्कार वितरण सम्पन्न होने के मध्य यदि संबंधित बुनकर का निधन हो जाता है तो चयनित एवं ''घोषित पुरस्कार उस बुनकर के द्वारा नामांकित व्यक्ति को देय होगा.

(7) पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को उनके निवास स्थान से समारोह स्थल तक आने-जाने एवं एक दिन ठहरने के लिए शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष रेल/बस/वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

(8) कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे.

प्रविष्टि आमंत्रण :—

1. जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर नियमानुसार प्रविष्टियां निर्धारित प्रारूप में, आवेदन के साथ प्रविष्टियां कलेक्टर के माध्यम से या सीधे आमंत्रित की जावेगी. प्राप्त प्रविष्टियां कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय पर "संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) रायपुर" को अग्रेषित की जावेगी. आवेदक पुरस्कार हेतु अपनी प्रविष्टि आवेदन-पत्र व संबंधित कागजात सहित संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) छत्तीसगढ़ रायपुर को बंद लिफाफे में सीधे भी भेज सकते हैं. जिले में पदस्थ सहायक संचालक (हा.) उक्त पुरस्कार योजना का प्रचार-प्रसार एवं संबंधित कार्य कलेक्टर के मार्गदर्शन में करेंगे. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी.

2. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगा.

3. (अ) चयन के लिए नियमों में उल्लेखित मापदण्ड एवं शर्तों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा, कि संबंधित व्यक्ति की प्रविष्टि आगामी वर्ष में पुरस्कार हेतु प्रस्तुत करने की स्थिति में विचारणीय नहीं होगा.

(स) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(द) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्त्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा.

(इ) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियां संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा.

क्र.	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद तथा पता	प्राप्त कागजातों की कुल पृष्ठ संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)

निर्णायक मण्डल (जूरी) का गठन :—

राज्य शासन हाथकरघा क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक निर्णायक मण्डल (जूरी) जो सामान्यत: पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा.

निर्णायक मण्डल की शक्तियां :—

1. निर्णायक मण्डल द्वारा किया गया चयन, अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

2. पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

3. सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक ही व्यक्ति का चयन होगा, किन्तु निर्णायक मण्डल (जूरी) यदि उपयुक्त समझे तो, यह पुरस्कार के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों का चयन कर सकेगा और तद्नुसार उन्हें पुरस्कार की राशि संयुक्त रूप से बराबर भाग में प्रदान की जावेगी.

4. निर्णायक मण्डल के बैठक की संपूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गयी लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुये विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

5. निर्णायक मण्डल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर, उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्रदान करने का अधिकार होगा, अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का तथा इसका भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा.

पुरस्कार के लिए चयन का मापदण्ड :—

पुरस्कार के लिए हाथकरघा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बुनकर चयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशक मापदण्ड रहेंगे :—

1. पुरस्कार हेतु आवेदक बुनकर इस योजना के समस्त नियम/शर्तों का पालन करता है.

2. निर्णायक मण्डल द्वारा प्रासंगिक/मौलिक/परम्परागत/आधुनिक डिजाईनों, रंग संयोजन, बुनाई में विविधता आदि को दृष्टिगत रखते हुये बुने गये वस्त्रों की विशेषता के आधार पर चयन किया जावेगा.

3. निर्णायक मण्डल के सदस्य एवं उनके परिवार के सदस्य इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे.

पुरस्कार की घोषणा :—

निर्णायक मण्डल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित व्यक्ति/व्यक्तियों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

अलंकरण समारोह/पुरस्कार वितरण :—

पुरस्कार का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित होगा, जिसमें पुरस्कार हेतु चयनित बुनकर को सादर आमंत्रित किया जावेगा तथा समारोह में उन्हें ससम्मान पुरस्कृत किया जावेगा.

व्यय की सम्पूर्ति :—

पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा की जावेगी.

नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में ग्रामोद्योग विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग में वेष्ठित होंगे.

अन्य दायित्वों का निर्वहन :—

प्रतिवर्ष प्राप्त पुरस्कार एवं चयनित व्यक्ति का रिकार्ड ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा घटक) द्वारा संधारित किया जावेगा. पुरस्कृत प्रविष्टि राज्य शासन की सम्पत्ति होगी, जो राज्य के संग्रहालय अथवा संबंधित विभाग के प्रदर्शन कक्ष में जनदर्शन हेतु रखी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वर्गीय श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार वर्ष . . . .

प्रति,

संचालक,
ग्रामोद्योग संचालनालय,
हाथकरघा घटक,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

द्वारा :— कलेक्टर, जिला . . . .
छत्तीसगढ़ प्रदेश.

विषय :— राज्य स्तरीय स्वर्गीय श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना वर्ष . . . . हेतु प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होने बाबत आवेदन-पत्र.

महोदय,

राज्य स्तरीय स्वर्गीय श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार वर्ष . . . . योजना में सम्मिलित होने हेतु अपना आवेदन पत्र एवं हाथकरघा वस्त्र नमूना (प्रविष्टि) प्रस्तुत कर रहा हूं. मेरे से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है :—

1. बुनकर का नाम एवं पूर्ण पता (छत्तीसगढ़ मूल निवासी का प्रमाण-पत्र संलग्न करें.) ....

2. उम्र (जन्म तिथि अंकित करें) (जन्म प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/सरपंच का प्रमाण-पत्र) जो उपलब्ध हो संलग्न करें. ....

3. गुरु अथवा शिक्षक का नाम व पता जिससे बुनाई का ज्ञान व प्रशिक्षण मिला है. ....

4. हाथकरघा बुनाई से संबंधित कितने वर्ष का अनुभव है. ....

5. वर्तमान मासिक आय ....

6. यदि बुनकर को पूर्व में कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका वर्षवार विवरण. ....

7. क्या वस्त्र बुनकर द्वारा स्वयं निर्मित किया गया है एवं उक्त प्रविष्टि, पुरस्कार हेतु प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है. स्टॉप पेपर पर (शपथ पत्र संलग्न करें) ....

8. पुरस्कार हेतु प्रस्तुत की जा रही प्रविष्टि का विस्तृत विवरण. ....

वस्त्र का नाम/विवरण	साईज	मूल्य
....	....	....

9. प्रविष्टि की विशेषता ....

10. अन्य जानकारी जो बुनकर देना चाहे ....

11. पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ पाने की ....दशा में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए .... नामांकित व्यक्ति का नाम, पता व रिश्ता ....

मैं यह प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि उक्त प्रविष्टि मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुनाई की गयी है, मैं इसे मेरी जिम्मेदारी पर स्व. श्री बिसाहूदास महंत बुनकर पुरस्कार योजनांतर्गत प्रविष्टि हेतु दे रहा हूं/दे रही हूं. इसके रख-रखाव में किसी भी प्रकार त्रुटि होने पर मैं शासन से किसी भी प्रकार का दावा नहीं करूंगा/करूंगी.

चयन समिति द्वारा उक्त पुरस्कार हेतु लिया गया अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा.

दिनांक ....

आवेदक बुनकर के हस्ताक्षर.

नाम :- ....

पता :- ....

स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार वर्ष ....
प्रतियोगिता में प्रविष्टि हेतु

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति श्री ....
निवासी ग्राम .... तहसील .... जिला ....
प्रदेश .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं और वचन देता/देती हूं कि स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार वर्ष .... की प्रतियोगिता के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत यह प्रविष्टि (वस्त्र का नाम व किस्म) .... मेरे स्वयं के द्वारा हाथकरघा पर बुना गया है, और मैं विगत वर्षों से हाथकरघा पर वस्त्र बुनाई का कार्य व्यक्तिगत/ .... बुनकर सहकारी समिति मर्या. .... के माध्यम से करता आ रहा/रही हूं. प्रस्तुत की जा रहा प्रविष्टि पूर्व पुरस्कृत नहीं है तथा पुरस्कार हेतु प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही है.

मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि उपर्युक्त कथन असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुचित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी.

मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत कर रहा/रही हूं. इस दौरान यदि इस मद के लिए लाने ले जाने में किसी अप्रत्याशित कारण से कोई नुकसान चोरी आदि होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी. शासन की नहीं होगी. योजना की समस्त नियम व शर्तें मुझे मान्य है.

पुरस्कार हेतु चयन होने की दशा में मैं पुरस्कार ग्रहण करने की सहमति प्रदान करता हूं.

पूरा नाम ....
पता ....
हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

नोट :- उक्त शपथ-पत्र 50/- रुपये के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी से संत्यापित कराकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.